न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 47/2018

1. अमरसिंह उर्फ मलकीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह उम्र 60 वर्ष जाति तरखान निवासी श्यामसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरदयाल सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति तरखान निवासी श्यामसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति तरखान निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रधुवीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति तरखान निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति तरखान निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. दलीप सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति तरखान निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश क्रमांक/रा.लो.अ./2018/55 दिनांक 05.06.2018 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर जिसकी रूह में राज0 काश्तकारी अधि. की धारा 53(2) के अनुसार चक 14 बीएनडब्ल्यू खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 56 व 58 का बंटवारा किया गया है को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :

1.श्री जसकरण सिंह औलख, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री बलकरण सिंह बराड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

::आदेश :: **दिनांक :–17.02.2021**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा करते समय अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ उक्त आदेश पारित किया है। अपीलांट अपनढ़ देहाती व्यक्ति है तथा ग्रामीण परिवेश में रहा है केवल अंगुठा लगाता है। अपीलांट के कुछ भाई पढे लिखे तथा नौकरी में है जिसका फायदा उठाते हुऐ अपीलांट के साथ धोखाधड़ी की गई है। अपीलांट को बंटवारा पढ कर नहीं सुनाया गया और ना ही समझाया गया, इसलिए उक्त बंटवारा विधि विरूद्व तथा कानून की मंश के खिलाफ है। सन् 2000 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 1 ता 5 के मध्य इस भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

का बंटवारा हो चुका था, चूंकि 14 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 56 का किला नम्बर 14 ता 25 की 3.0360 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज था, मुरब्बा नम्बर 58 में चक 14 बीएनडब्ल्यू के मोघे से पानी लगता है इसलिए बंटवारे में मुरब्बा नम्बर 56 का चक 16 बीएनडब्लयू की भूमि भी कहते आ रहे है। सन् 2000 के बंटवारे में चक 16 बीएनडब्ल्यू व चक 14 बीएनडब्ल्यू की भूमि के हिसाब से बंटवारा किया गया है। इसके अनुसार अपीलांट को 16 बीएनडब्ल्यू में मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 19,20 व 25 (1/6) व चक 14 बीएनडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 58 में किला नम्बर 22 व 23 प्राप्त हुई थी तब से अपीलांट इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है। सन् 2000 के बंटवारे से सभी भाई सहमत थे तथा बंटवारे के अनुसार काबिज चले आ रहे थे अपीलांट द्वारा पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार ही बंटवार दर्ज करने की सहमति दी थी परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अपीलांट की सहमति को नजर अंदाज अपने हिसाब से नया बंटवारा कर दिया जिसकी अपीलांट ने कभी सहमति नही दी थी। रेस्पोडेंट ने चालाकी से अपीलांट को मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 13 शामिल, किला नं.14/1 की 0.160 हेक्टर, किला नं. 17/1 की 0.160 हेक्टर, किला नं. 18/2 की 0.151 हेक्टर, किला नम्बर 23/2 की 0.151 हेक्टर, किला नं. 24/1 की 0.161 हेक्टर कुल 1.036 हेक्टर भूमि बंटवारे में दी होनी अंकित की है जबकि उक्त भूमि के किला नं. 13,14,17,24 में बड़े बड़े खडडे बने हुए है उक्त भूमि काश्त के लायक नहीं है। अपीलांट के लिए उक्त भूमि किसी काम की नहीं है उक्त तथाकथित बंटवारा में बुरी भूमि अपीलांट को दी गई थी तथा अच्छी रेस्पोडेन्टस ने स्वयं रख ली है। रेस्पोडेन्ट ने चालाकी से तथा अपीलांट को धोखे मे रखते हुए जिन किलाजात में खडडे थे का चुनाव कर बंटवारे में अपीलांट को दे दिया जबकि इस सम्बन्ध में अपीलांट की कोई सहमति नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति ऐसी भूमि प्राप्त करना चाहता है जिससे साफ पता चलता है कि अपीलांट की कोई सहमति नहीं थी। अपीलांट के कब्जे के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 22 रेस्पोडेन्ट गुरदयाल सिंह को व किला नम्बर 23 दलीप सिंह को दे दिया गया है अपीलांट के कब्जे का मुरब्बा नम्बर 56 का किला नम्बर 19,20,25(1/6) इन्द्र सिंह को दिया गया है जबकि उक्त भूमि पर अपीलांट आज भी काबिज चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अपने पूर्व के बंटवारे के अनुसार रकबा मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 19,20 व 25(1/6) व मुरब्बा नम्बर 58 में किला नम्बर 22 व 23 आज भी कब्जे में है जिस पर फसल काश्त की हुई है अब रेस्पोडेन्टस, अपीलांट के कब्जे की भूमि में दखलअन्दाजी की कोशिश में है जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है। अपीलांटस को इस आदेश सर्वप्रथम सूचना पटवारी के पास दिनांक 18.07.2018 को गया तो और नाम संसोधन व बंटवारे का पूछा तो पटवारी ने बताया कि आपको बंटवारे में फलां फलां किले मिले है। जिस पर अपीलांट ने तुरन्त नकल के लिए आवेदन किया और उपरान्त नकले लेकर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश कमांक/रा.लो.अ./2018/55 दिनांक 05.06.2018 न्यायालय तहसीलदार राजस्व सादुलशहर को निरस्त किया जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा –2018 में मैने नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। मै एक अनपढ व्यक्ति हूँ। मुझे अंगूढा लगाने के लिए कहा तो मैने अंगूढा लगा दिया। मैने बंटवारे का निवेदन नहीं किया था, जबकि उक्त अभियान में सहमति से बंटवारा कर दिया। हमारा सन् 2000 में बंटवारा हुआ है मुझे उसी अनुसार भूमि का कब्जा दिया जावें। मै राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वारा–2018 मे हुए सहमति बंटवारा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो जमीन दी गई है उसमें बडे–बड़े खडे है जिससे फसल काश्त नहीं की जा सकती। मैने बंटवारे के अनुसार इन्तकाल नहीं किया जावें हेतु निवेदन किया लेकिन बंटवारे अनुसार इन्तकाल कर दिया। मेरा पूर्व बंटवारा अनुसार ही कब्जा चला आ रहा है। मैने बंटवारे के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. करवाई थी जिस पर थानाधिकारी द्वारा एफ.आर. लगा दी गई। फिर मेरे द्वारा धारा 107–151 में अंशान्ति फैलाने बाबत इस्तगासा किया जिस पर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो कि मेरा भाई है के लड़के ने मुझसे मारपीट की जिसका मुकदमा भी उस दर्ज करवाया गया। मुझे घरू बंटवारे अनुसार आई जमीन दी जाकर अपील स्वीकार की जावें।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा –2018 में सभी भाईयों की सहमति से बंटवारा हुआ था जिसकी तादीद सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा की गई। अपीलांट के कथनानुसार जमीन में जो खडे बताये गये उनको भी सभी भाईयों द्वारा लेबल करवाकर भरवा दिये गये है। सहमति से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा –2018 में आई भूमि पर रेस्पोडेन्ट जब खडे भरने गये वहा अपीलाट लडाई झगडा पर उतारू हो गया। वास्तव में जो भूमि अपीलांट को दी गई वह अन्य जमीन से नीचे व उपजाउ है। अपीलांट सिर्फ इस बात से नाराज है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो कि अपीलाट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 का बड़ा भाई है उसको अनपढ एवं सारी उम्र जमीन के देखभाल करने की वजह से 0.180 हैक्टर रकबा बंटवारा में ज्यादा दिया गया है वो सभी भाईयों की सहमति से दिया गया है जबकि अन्य जो भाई आर्थिक रूप से सक्षम है उनका हिस्सा कम कर दिया गया। अपीलट का हिस्सा कम नहीं किया गया है। बंटवारा जो किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना अनुसार किया गया है। सहमति से हुए बंटवारा की अपील नहीं हो सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट का यह कथन कि मै अनपढ हूँ एवं राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा –2018 में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना प्रस्तुत करने गया था सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बंटवारा में अपीलांट का नाम अमरसिंह उर्फ मलकीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह ही अंकित किया हुआ है। बंटवारा पर अपीलांट स्वयं के अंगूठा निशान अंकित है जिसकी ताईद सरपंच ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला द्वारा की गई है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा –2018 कैम्प धर्मसिंहवाला में पारित आदेश क्रमांकःरा.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

नी.अ. /2018/55 दिनांक 05.06.2018 विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.)